बिहार सरकार
कृषि विभाग

का॰आ॰सं॰–3 / कृ॰वि॰विविध(कार्य0आवंटन)–23 / 2010– 570 / कृ॰, पटना, दिनांक 01-02-2018

कार्यालय आदेश

विभागीय कार्यहित में कृषि विभाग (मुख्यालय) में कार्यरत पदाधिकारियों के बीच कार्यों का वितरण निम्न प्रकार से किया जाता है :–

क्र॰ सं॰	कार्य	प्रशाखा संख्या	प्रथम स्तर के पदाधिकारी, कनीय प्रभार	द्वितीय स्तर के पदाधिकारी, वरीय प्रभार	जिनके समक्ष उपस्थापित किया जायेगा
1	2	3	4	5	6
1	सभी योजनाओं की स्वीकृति / अनुश्रवण की संचिकाएँ।	पी0पी0 एम0 कोषांग, प्रशाखा–3 एवं 4	कृषि विशेषज्ञ / निदेशक, पी0पी0एम	श्री रवीन्द्र नाथ राय, विशेष सचिव	सचिव / प्रधान सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त
2	बिहार कृषि सेवा कोटि–1, 2, 3, 5, 7, 8 एवं 9 के वर्ग–1 एवं 2 के राजपत्रित पदाधिकारियों की नियुक्ति / पदस्थापन / स्थानांतरण / वरीयता निर्धारण / प्रोन्नति से संबंधित सभी कार्य।	1	श्री विनोद रजक, अवर सचिव	श्री प्रभु राम, निदेशक (प्र॰)–सह–अपर सचिव	प्रधान सचिव
3	बिहार कृषि सेवा कोटि–1, 2, 3, 5, 7, 8 एवं 9 के वर्ग–1 एवं 2 (राजपत्रित) पदाधिकारियों की सेवानिवृति लाभ से संबंधित कार्य।	1	श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, अवर सचिव	श्री रवीन्द्र नाथ राय, विशेष सचिव	प्रधान सचिव
4	कृषि विभाग के राजपत्रित पदाधिकारियों के विरूद्ध आरोप से संबंधित कार्य एवं वार्षिक गोपनीय चारित्रिक अभियुक्ति का संधारण।	2	श्री विनोद रजक, अवर सचिव	श्री रवीन्द्र नाथ राय, विशेष सचिव	प्रधान सचिव
5	सी॰ए॰जी॰ एवं लोक लेखा समिति से संबंधित कार्य।	3	श्री विनोद रजक, अवर सचिव	श्री प्रभु राम, निदेशक (प्र0)–सह–अपर सचिव	प्रधान सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त
6	मुख्यालय में पदस्थापित चतुर्थवर्गीय कर्मी (सचिवालय संभाग), आशुलिपिक सेवा (निजी सहायक संवर्ग), बिहार सचिवालय सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारियों / कर्मियों की स्थापना, परिवहन भत्ता एवं भविष्य निधि अग्रिम की स्वीकृति से संबंधित कार्य।	3	श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, अवर सचिव	श्री प्रभु राम, निदेशक (प्र॰)–सह–अपर सचिव	प्रधान सचिव
7	कृषि विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मियों की चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति से संबंधित कार्य।	3	श्री विनोद रजक, अवर सचिव	श्री रवीन्द्र नाथ राय, विशेष सचिव	प्रधान सचिव

8	माननीय मंत्री, कृषि की स्थापना, चिकित्सा प्रतिपूर्त्ति, विवेकानुदान इत्यादि से संबंधित कार्य।	3	श्री विनोद रजक, अवर सचिव	श्री दिनेश कुमार, उप सचिव	प्रधान सचिव
9	बजट शीर्ष 2401 से संबंधित गैर योजना एवं योजना बजट से संबंधित कार्य/लेखा सत्यापन का कार्य/शीर्ष 3451, 3475, 2013, 2415, 2402 एवं 2435 से संबंधित बजट कार्य एवं उपरोक्त से संबंधित बजट कार्य।	3 एवं बजट कोषांग	श्री नागेन्द्र साहनी, प्रशासी–सह–लेखा पदाधिकारी	श्री प्रभु राम, निदेशक (प्र०)–सह–अपर सचिव	प्रधान सचिव
10	ए०सी० / डी०सी० विपत्र से संबंधित कार्य / ए०सी० / डी०सी० विपत्र की समीक्षा।	3 एवं बजट कोषांग	श्री नागेन्द्र साहनी, प्रशासी–सह–लेखा पदाधिकारी	श्री प्रभु राम, निदेशक (प्र0)–सह–अपर सचिव	प्रधान सचिव
11	संसदीय एवं विधानमंडलीय संबंधी कार्य।	4	श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, अवर सचिव	श्री विश्वनाथ चौधरी, संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	प्रधान सचिव
12	विभागीय बोर्ड / निगम / बिहार राज्य कृषि विपणन पर्षद (विघटित)।	4	श्री विश्वनाथ चौधरी, संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	श्री रवीन्द्र नाथ राय, विशेष सचिव	प्रधान सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त
13	न्यायालय एवं विधि संबंधी कार्य का संधारण एवं अनुश्रवण।	5	श्रीमती निवेदिता राय	प्रधान सचिव	कृषि उत्पादन आयुक्त
14	शिक्षा कोषांग से संबंधित सभी कार्य।		श्री अनिल झा, उप निदेशक, पी0पी0एम0	श्री रवीन्द्र नाथ राय, विशेष सचिव	प्रधान सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त
15	जन शिकायत से संबंधित कार्य।	13	श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, अवर सचिव	श्री दिनेश कुमार, उप सचिव	प्रधान सचिव
16	सूचना का अधिकार के अंतर्गत सचिवालय संभाग के प्रथम अपीलीय प्राधिकार का कार्य।	13	श्री दिनेश कुमार, उप सचिव		
17	सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त कृषि विभाग से संबंधित राज्यादेश / संलेख एवं पत्रादि का निर्गत किया जाना।	संबंधित प्रशाखा / कोषांग	प्रधान सचिव		
18	आंतरिक वित्तीय सलाहकार के कार्य	आंतरिक वित्तीय सलाहकार कोषांग	श्रीमती निवेदिता राय, उप निदेशक (प्रशासन)		प्रधान सचिव

2. उपर्युक्त पदाधिकारियों के अवकाश में रहने अथवा अधिकृत रूप से मुख्यालय से अनुपस्थित रहने की परिस्थिति में विभागीय कार्यों के सुचारू ढ़ंग से सम्पादन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था निम्न प्रकार की जाती है :–

(i) कृषि निदेशालय स्तर की सभी संचिकाएँ निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव के माध्यम से कृषि निदेशक को प्रेषित की जायेगी।

(ii) मुख्य लेखा पदाधिकारी का कार्य श्री विश्वनाथ चौधरी, संयुक्त निदेशक (प्रशासन) द्वारा निष्पादित किया जाएगा।

(iii) श्री प्रभु राम, निदेशक (प्र0)–सह–अपर सचिव के अनुपस्थिति में श्री रवीन्द्र नाथ राय, विशेष सचिव कार्य करेंगे तथा श्री रविन्द्र नाथ राय, विशेष सचिव के अनुपस्थिति में श्री प्रभु राम, निदेशक (प्र0)–सह–अपर सचिव कार्य करेंगे।

(iv) श्री दिनेश कुमार, उप सचिव की अनुपस्थिति में श्री विनोद रजक, अवर सचिव कार्य करेगें। इसी प्रकार श्री विनोद रजक, अवर सचिव के अनुपस्थिति में श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, अवर सचिव कार्य करेंगे। श्री बीरेन्द्र कुमार सिंह, अवर सचिव के अनुपस्थिति में श्री विनोद रजक, अवर सचिव कार्य करेंगे।

3. जो प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियाँ विभागीय सचिव को प्रदत्त है उनकी संचिकाएँ विभागीय सचिव को उपस्थापित होगी तथा निर्णय वहीं से लिए जायेगें।

4. विभागीय मंत्री को उपस्थापित की जाने वाली वैसी संचिकाएँ जिसमें माननीय मुख्यमंत्री की स्वीकृति, मंत्रिपरिषद की स्वीकृति, निति निर्धारण, योजनाओं की गाईड लाईन में परिवर्तन, नई योजनाओं के सूत्रण करने या योजनाओं के स्वरूप में परिवर्तन लाने से संबंधित मामले निहित हो, प्रधान सचिव के द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त के माध्यम से विभागीय मंत्री को उपस्थापित की जायेगी।

5. Multi Lateral Agency जैसे World Bank, DFID, ADB से संबंधित संचिकाएँ प्रधान सचिव के माध्यम से कृषि उत्पादन आयुक्त को उपस्थापित की जायेगी।

6. शिक्षा कोषांग की संचिकाएँ प्रधान सचिव के माध्यम से कृषि उत्पादन आयुक्त को उपस्थापित की जाएगी।

7. उपरोक्त के अतिरिक्त सभी पदाधिकारियों को प्रधान सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त द्वारा समय–समय पर विशेष कार्य दिए जा सकते हैं।

8. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक प्रभावी होगा।

9. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/- 01/02/18
(अवर सचिव)
सरकार के अवर सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :570 /कृ०, पटना, दिनांक 01-02-,2018

प्रतिलिपि :–कृषि निदेशक, बिहार, पटना/विशेष सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/ निदेशक (प्रशासन)–सह–अपर सचिव/उप सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी, कृषि विभाग/संयुक्त निदेशक (प्रशासन)/उप निदेशक (प्रशासन)/अवर सचिव (सभी)/निदेशक, उद्यान/निदेशक, भूमि संरक्षण/निदेशक, पी.पी.एम., कृषि विभाग, बिहार, पटना/ प्रशासी–सह–लेखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (निदेशालय संभाग)/ प्रशासी–सह–लेखा पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (सचिवालय संभाग)/कृषि विभाग के सभी प्रशाखा पदाधिकारी/सभी संबंधित सहायक/लेखापाल सचिवालय एवं निदेशालय प्रभाग, कृषि विभाग, बिहारा, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/- 01/02/18
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक :570 /कृ०, पटना, दिनांक 01-02-,2018

प्रतिलिपि :– माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव के आप्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 01/02/18
सरकार के अवर सचिव।